Recommendations of Tikku Committee

2409. SHRI N. GIRI PRASAD: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that non-medical scientists who were not covered under the Tikku Committee report had approached the Hon'ble Supreme Court of India which directed Government to extend all benefits except non-practicing allowance to them, if so, the details thereof;

(b) whether it is also a fact that Government have directed the Central Councils for Research in Ayurveda, Siddha, Unani Medicine, Yoga and Naturopathy and Homoeopathy to extend these benefits to their non-medical scientists and not to those with medical qualifications, more than nine months back; if so, the details thereof; and

(c) whether Government take Executive decisions only on the directions of the Hon'ble Supreme Court?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) Yes, Sir. The Ministry of Health and Family Welfare in compliance with the directions of the Hon'ble Supreme Court, promulgated Department of Health (Group 'A' Gazetted Non-Medical/Scientific and Technical posts) IN-SITU PROMOTION RULES, 1990 to provide appropriate promotion opportunities to non-medical scientific and technical posts under the Ministry of Health and Family Welfare/Institutions under D.G.H.S. The benefits of various allowances like academic and research pursuit allowance (Contingency allowance), Higher Degree allowance and Conveyance allowance have also been extended to them.

(b) The Councils under the Indian System of Medicine and Homoeopathy (ISM&H) have been asked to extend the benefits of in-situ promotion to Group 'A' Non-Medical Scientists/Technical Officers working in the various Councils of ISM & H after obtaining the approval of their respective Governing Bodies.

(c) No, Sir.

चिकित्सक-रोगी अनुपात

2410. **श्री रामजीलाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने, भारत की जनसंख्या में विस्फोटक वृत्ति को देखते हुए चिकित्सक-रोगी अनुपात को बढ़ाने तथा आम जनता को परिवार कल्याण संबंधी तरीकों के बारे में अवगत कराने हेतु कोई उपाय किये हैं,

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने इस सबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ हरियाणा को कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान लोगों को व्यापक स्वास्थ्य परिचर्चा सेवाएं उपलब्ध करने के लिए शहरी तथा ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ तथा स्थापित करने के प्रयास किए गए है । जनसंख्या के शिथिल मानदण्डों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया गया है । लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा परिवार कल्याण के तरीकों सहित स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में उन्हें शिक्षा देने के लिए इन संस्थाओं तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की दूसरी संस्थाओं को चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में चिकित्सा तथा अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों क प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया ।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से उपलब्ध सूचना के अनुसार आधुनिक चिकित्सा पद्धति में डाक्टर रोगी अनुपात जुलाई, 1995 तक 1:1930 है । इसके अतिरिक्त, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी आदि जैसी दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के बड़ी संख्या में प्रेक्टीशनर,